



2026:AHC:52156

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3573 वर्ष 2026

राजेंद्र प्रसाद सहाययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पवन गिरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन गिरी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 03.03.1992 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में तदर्थ आधार पर चपरासी के पद पर हुई थी। याचिकाकर्ता को दो ए.सी.पी. प्रदान की गई थीं और उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह 31.07.2025 को सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन उसे पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 06.02.2026 को निर्णित रिट-ए संख्या 1115 वर्ष 2025 के निर्णय पर भरोसा जताया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-2, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. इस सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया है।
6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या-2, प्रतिवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या-2 की राय में मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो वे संबंधित दस्तावेज उस प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।
7. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को इस रूप में न समझा जाए कि न्यायालय ने मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त की है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।